# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

**अपील संख्या 37 / 2018**

1- श्री शंकरलाल लुधानी पुत्र श्री गुल्लूमल उम्र 69 वर्ष जाति सिन्धी
2. श्रीमति लता लुधानी पत्नी श्री शंकरलाल लुधानी उम्र 68 वर्ष जाति सिन्धी
निवासी 2 ग 6 वैशालीनगर, अजमेर। .....अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. श्रीमती शगुन लुधानी उर्फ हीना बच्छानी पत्नी श्री राहुल लुधानी उर्म लगभग 28 वर्ष जाति सिंधी निवासी–2 ग 6 वैशाली नगर, अजमेर। ..... प्रत्यर्थी सं0 01
2 .श्री राहुल लुधानी पुत्र श्री शंकरलाल लुधानी उम्र 29 वर्ष, जाति सिन्धी निवासी फ्लेट नं0 702, पारस हाईटस, झलकारी बाई स्मारक के सामने , पंचशील नगर, अजमेर।
..... प्रफोर्मा प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 30.10.2018 अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर )एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर**

दिनांक :– 20.02.2019

*आदेश*

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण 69, 68 वर्षीय वृद्ध वरिष्ठ नागरिक है। प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 02 अपीलार्थीगण का गोद लिया पुत्र है तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 उनकी बहु है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तथा प्रफोर्मा प्रत्यर्थी सं0 02 के एक चार वर्षीय पुत्री (छवि) है। अपीलान्ट का कहना है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 झगडालू स्वभाव की है जो आये दिन उनके साथ दुर्व्यवहार, लडाई–झगडा एवं गाली गलौच करती है। उन्हे गंभीर प्रकति के अपराधों, दहेज प्रकरण, घरेलू हिंसा के प्रकरण में लिप्त करने तथा आत्महत्या करने की धमकियॉ देती है। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ अधिकरण में निष्कासन बाबत प्रस्तुत याचिका अनुतोष से बचने के लिए एवं प्रकरण को घरेलू हिंसा का रंग देने की नियत से दिनांक 27.9.2018 को घरेलू हिंसा का प्रकरण भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 01, प्रत्यर्थी सं0 02 के साथ भी दुर्व्यवहार करती है। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा आये दिन अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 के साथ किये जाने वाले झगडों तथा दोनो के आपसी झगडों में अपीलार्थीगण को मिथ्या रूप से शामिल करने के कारण अपीलार्थीगण का सामान्य जीवन जीना असंभव हो गया है। प्रत्यर्थीगण के अपीलार्थी संख्या 01 की सम्पति में जबरन निवास करने से नियमित रूप से अशांति एवं भय का माहौल रहने के कारण अपीलार्थीगण का निरन्तर मानसिक व शारीरिक उत्पीडन कारित हो रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा झूठी शिकायतें कर पुलिस को बुलाये जाने से अपीलार्थीगण की सामाजिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। अपीलार्थीगण अपना शेष जीवन शान्तिपूर्ण तरीके से जीने के उद्धेश्यों से वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावको के भरण पोषण एंव देखभाल अधिनियम 2007 के अन्तर्गत दिनांक 10.08.2018 को अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण संख्या 01 एवं 2 को उनकी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सम्पति से निकाले जाने के अनुतोष के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा बिना समस्त तथ्यों पर गौर किये अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 30.10.2018 से खारिज कर दिया गया। आक्षेपित आदेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए अपीलान्ट्स द्वारा इसे अपास्त करने एवं अपीलार्थी संख्या 01 की सम्पति 2 ग 6, वैशालीनगर, अजमेर में रेस्पोडेन्ट सं0 01 को निष्कासित किये जाने के अनुतोष की इस्तदुआ के यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 को प्रति उपलब्ध कराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा भी जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थीगण ने अपने अपील कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट्स वरिष्ठ नागरिक है। प्रत्यर्थी संख्या 02 अपीलार्थीगण का गोद लिया हुआ पुत्र है तथा रेस्पो0 सं0 01 उसकी पत्नि एवं अपीलार्थीगण की बहु है। प्रत्यर्थीगण के एक चार वर्षीय पुत्री छवि है। उभय पक्ष अपीलार्थी संख्या 01 की सम्पति 2 ग 6 वैशालीनगर, अजमेर में निवास करते है। प्रत्यर्थी संख्या 01 उग्र एवं झगडालू प्रवृति की है। वह आये दिन अपीलान्ट्स के साथ लडाई झगडा, गाली गलौच एवं दुर्व्यवहार करती है। अपीलार्थीगण को गंभीर प्रकृति के अपराधों वं दहेज के प्रकरण एवं घरेलू हिंसा के प्रकरण में फॅसाने एवं आत्महत्या करने की धमकिया देती है। अधिनस्थ अधिकरण में आक्षेपित प्रकरण के विचाराधीन रहने दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा दिनांक 27.9.2018 को घरेलू हिसा का प्रकरण भी प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 02 के साथ भी दुर्व्यवहार करती है। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा आये दिन अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 के साथ किये जाने वाले झगडों तथा दो के आपसी झगडों में अपीलार्थीगण को मिथ्या रूप से शामिल करने के कारण अपीलार्थीगण सामान्य जीवन जीना असंभव हो गया है। प्रत्यर्थीगण का अपीलार्थी संख्या 01 की सम्पति जबरन निवास करने से नियमित रूप से अशांति एवं भय का माहौल रहने के का अपीलार्थीगण का निरन्तर मानसिक व शारीरिक उत्पीडन कारित हो रहा है। प्रत्यर्थी संख्या द्वारा झूठी शिकायतें कर पुलिस को बुलाये जाने से अपीलार्थीगण की सामाजिक व्यवसायिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। अपीलार्थीगण अपना शेष जीवन शान्तिपूर्ण तरीके जीने के उद्धेश्यों से वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावकों के भरण पोषण एंव देखभाल अधिनि 2007 के अन्तर्गत दिनांक 10.08.2018 को अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण संख्या एवं 2 को उनकी सम्पति से निकाले जाने के अनुतोष के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अधि अधिकरण द्वारा बिना समस्त तथ्यों पर गौर किये अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रस्तुत न्या दृष्टान्तों के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 30.10.2018 से खारिज कर दिया गया। जब अधिनियम की धारा 4 में अभिभावकों के सामान्य जीवन में शान्तिपूर्वक रहवास को शामिल तथा धारा 2 (बी) में भरण पोषण में रहवास "residence" अन्तर्निहित है तथा धारा 4(2 अनुसार पुत्र तथा रिश्तेदार शब्दों में पुत्रवधु को शामिल माना है। इस प्रकार पुत्र तथा पुत्र दोनों एवं पुत्रवधु को अभिभावकों की सम्पत्ति से बेदखल/निष्कासित/खाली करनें के आ दिये जा सकते है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के अ

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

5 में माननीय अधिकरण के अधिकार व कर्तव्य कोटिबद्ध किये है। नियम 20 के उपनियम (2)(i)(ii) में वरिष्ठ नागरिकों व अभिभावकों के जीवन व सम्पति की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है, ताकि वे सुरक्षा व सम्मान के साथ अपना जीवन जीने में समर्थ हो सकें, धारा 2 के उपनियम 5 में भी यही प्रावधान दिये गये है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलार्थीगण पर कई गम्भीर आरोप लगाये व पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर व महिला थाने में झूंठी शिकायते की गई है। दिनांक 8.8.2018 की शिकायत में तो अपने पति प्रत्यर्थी संख्या 02 को प्यार करने से रोकने व उसके द्वारा मारपीट करवाने के आरोप भी लगाये गये है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रेमविवाह किया गया है व प्रत्यर्थी संख्या 02 अपीलार्थीगण का गोद लिया हुआ पुत्र है। अधिनस्थ अधिकरण में बेदखली से बचने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 की मिली भगती तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 काम पर नहीं जाकर अपीलार्थी संख्या 01 पर निर्भर होने के बयान देती है दूसरी तरफ सोची समझी विधिक राय के तहत दिनांक 24.9.2018 को घरेलू हिंसा का परिवाद प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण से भरण पोषण की मांग कर रहीं है। यदि अपीलार्थीगण अपने पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 02 को भडकाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 को पिटवाते है तो प्रत्यर्थी संख्या 01 अपीलार्थीगण की सम्पति में क्यो निवास कर रही है। वह प्रत्यर्थी संख्या 02 के पास उनके किरायाधीन परिसर फ्लेट नं0 702 पारस हाइट्स झलकारी बाई स्मारक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर में जाकर क्यों नही रहती। प्रत्यर्थी संख्या 02 उसे वहॉ ले जाने एवं उसकी मूलभूत समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने को भी तैयार है। अपीलार्थीगण, प्रत्यर्थी संख्या 01 के आये दिन उनके साथ दुर्व्यवहार, लडाई–झगडा एवं गाली गलौच करने एवं गंभीर प्रकति के अपराधों, दहेज प्रकरण, घरेलू हिंसा के प्रकरण में लिप्त करने तथा आत्महत्या करने की धमकियॉ से प्रत्यर्थी संख्या 01 के साथ रहना असम्भव हो गया है। अपीलार्थीगण अपनी बची हुई जिंदगी शान्ति से जीना चाहते है। अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 01 तथा उसके पिता के द्वारा कोई भी घटना कारित करने का अंदेशा बना रहता है। प्रत्यर्थीगण की परेशानी से उनके वरिष्ठ नागरिक के अधिकार प्रभावित हो रहे है। अपीलार्थीगण ने अपने कथनो कें समर्थन में देहली हाई कोर्ट द्वारा सन्नीपॉल बनाम एन.सी.टी. ऑफ देहली व अन्य, अनीता बारेजा बनाम जगदीश लाल बारेजा तथा पंजाब–हरियाणा हाई कोर्ट के प्रकरण हमीना केंग बनाम डी.एम (यू.टी.) में पारित निर्णयो एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए अन्त में अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान अनुसार अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थीगण के रहवास में शान्तिपूर्ण जीवन यापन हेतु प्रत्यर्थी संख्या 01 को उनकी सम्पति 2–ग–6 वैशालीनगर से 7 दिवस में बेदखली किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा आदेश की पालना हेतु पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज को निर्देशित करावें।

जवाब में रेस्पोडेन्ट सें0 01 ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य, प्रावधान एवं दृष्टान्तो का सही विवेचन कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30.10.2018 में प्रकरण वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का ना होकर घरेलू हिंसा से सम्बन्धित होना प्रतीत होता है, का उल्लेख किया गया है, जो सही एवं न्यायोचित है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। अपील में उल्लेखित तथ्य मनगढन्त, कपोल कल्पित एवं झूठे है। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलान्ट्स को किसी भी प्रकार से मानसिक, शारीरिक प्रताडना नहीं दी गई है। अधिनियम की धारा 4 के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

तहत अपीलान्ट्स किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा उस पर की गई ज्यादतियों की शिकायत प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा समय समय पर सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश की गई है। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर के समक्ष प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 107/116(3) जा0 फौ0 में प्रस्तुत राजीनामें में प्रत्यर्थी संख्या 01 के हस्ताक्षर धोखे से करवाये गये है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 अजमेर के समक्ष घरेलू हिंसा से स्त्रीयों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन विचाराधीन है, जिसमें उक्त रहवास से नही निकालने का अनुतोष भी मांगा गया है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी संख्या 01 (पुत्र–वधु) पर लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या 01 से इस अधिनियम के तहत कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 की शादी प्रत्यर्थी संख्या 02 के साथ 20 जनवरी 2014 को हुई थी। प्रत्यर्थी संख्या 01 के पिता द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 की मांग के कारण अपनी हैसियत से बढचढ कर खर्चा किया था, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 02 अत्यधिक लालची प्रवृति का होने कारण अपीलार्थीगण से मिलीभगत कर प्रत्यर्थी संख्या 01 को सन् 2016 से अत्यधिक हैरान परेशान कर प्रताडित कर रहा है। अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या 2 का अन्यत्र विवाह कर अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अधिनियम का सहारा लेकर उसे घर से बेदखल किये जाने का अनुचित एवं अविधिक प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 02 अनेक प्रकार के नशे का आदि है तथा चाल चलन भी सही नहीं है। पूर्व में भी उसकी एक सगाई टूट चुकी थी। अपीलार्थीगण द्वारा यह तथ्य प्रत्यर्थी संख्या 01 से छुपाकर धोखे से शादी करवाई गई। इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 01 अपीलार्थीगण की सम्पूर्ण देखभाल करती है, तथा अपनी जिम्मेदारी सुचारू रूप से निभा रही है। प्रत्यर्थी संख्या 01 के एक पुत्री है जिसका नाम छवि है। जिसके भविष्य को देखते हुए वह अपना सारा सुख त्याग कर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 की ज्यादतियों व अत्याचारों को सहन करते हुए अपनी गृहस्थी अन्तिम सांस तक निभाना चाहती है। अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 ने मिली भगत कर घरेलू हिंसा के विचाराधीन प्रकरण एवं अन्य दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण से बचने के लिए उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलार्थीगण की अपील सव्यय खारिज फरमाई जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा व्यक्त कथनों को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि 2016 में पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना पत्र एवं महिला थाना एवं अन्य जगहों पर शिकायत प्रत्यर्थी संख्या 01 शगुन द्वारा पेश की गई, सभी जगह प्रत्यर्थी संख्या 01 की ही समझाईश की गई। मैं वर्तमान में किरायाधीन परिसर फ्लेट नं0 702 पारस हाइट्स झलकारी बाई स्मारक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर में रहता हूँ। मै चाहता हूँ कि प्रत्यर्थी संख्या 01 अपीलान्ट्स एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 के साथ दुर्व्यवहार, लडाई–झगडा एवं गाली गलौच नहीं करें। दहेज प्रकरण, घरेलू हिंसा एवं अन्य गंभीर प्रकृति के प्रकरण में लिप्त करने तथा आत्महत्या करने की धमकियॉ नहीं दें, शान्ति से रहे। मै अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के आये दिन के लडाई झगडे, दुर्व्यवहार, थान

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किश्चियनगंज एवं महिला थानों में गम्भीर आरोप के झूठी शिकायते एवं घरेलू हिंसा के परिवाद प्रस्तुति से जीना दुर्भर होने का हवाला देते हुए अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रत्यर्थीगण को उनके निवास स्थान 2 ग 6, वैशालीनगर, अजमेर से बेदखली कर उनकी सम्पति व जीवन को संरक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अपीलान्ट्स का यह भी कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या 02 पंचशील नगर में पारस हाइट्स में किराये का फ्लेट लेकर वहॉ रहता है तो प्रत्यर्थी संख्या 01 को भी उसी के साथ वहॉ रहने का आदेश दिया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा इसे नकारते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 के वैशालीनगर स्थित सम्पति में साथ में ही रहना व्यक्त किया तथा इसकी पुष्टि में कुछ फोटोग्राफस भी प्रस्तुत किये गये है। हमने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यों, सुनवाई दौरान व्यक्त कथनों पर मनन किया। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट् सं0 01 एवं 02 द्वारा परस्पर आरोप, प्रत्यारोपित किये गये है। अपीलान्ट्स, बेटे एवं बहु दोनो पर ही परेशान करने का आरोप लगाते हुए शांतिपूर्ण रहवास हेतु उनकी सम्पति से बेदखली चाहते है। प्रत्यर्थी संख्या 02 पत्नी को साथ रखना चाहता है, वहीं प्रत्यर्थी संख्या 01 पति के साथ पैतृक आवास में ही रहना चाहती है, अलग नहीं रहना चाहती है। राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 20 (2) (i) के तहत जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य, यह सुनिश्चित करना होगा कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन और सम्पति सुरक्षित है और वे सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन यापन करने में समर्थ हैं। चूंकि प्रत्यर्थी सं0 01 अपीलान्ट्स की बहू एवं प्रोफार्मा प्रत्यर्थी संख्या 02 उनका गोद लिया हुआ पुत्र है तथा चार वर्षीय पौत्री छवि है जो कि वादग्रस्त रहवासीय सम्पति में अपीलान्ट्स के साथ ही रहते है, तथा एक किचन में ही उनका खाना बनता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मामला आपसी मनमुटाव एवं पारिवारिक गृह क्लेश का प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट्स की वर्तमान परिस्थिति एवं अवस्था को देखते हुए अपील, अपीलार्थी0 इस हद तक स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स जो कि प्रत्यर्थीगण के सास–ससुर तथा माता–पिता है तथा वद्धावस्था में है, की उचित देखभाल करते हुए उनके शान्ति पूर्ण जीवन यापन में सहयोग करें, किसी प्रकार से दुर्व्यवहार, लडाई–झगडा, वाद विवाद, आदि नहीं करें। इस आश्य की लिखित अन्डर टेंकिग प्रत्यर्थीगण, न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर एवं सम्बन्धित थानाधिकारी, पुलिस थाना किश्चियनगंज, अजमेर, आदेश की पालना सुनिश्चित करावें तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 श्रीमति शगुन लुधानी उर्फ हीना वच्छानी एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 02 श्री राहुल लुधानी को आदेश की पालना कठोरता से करने हेतु पाबन्द करे। आदेश की तनिक भी अवेहलना होने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

Scanned by CamScanner